संख्या-8/2017/309/12-5-2017-सा0-20/2017

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 04 मई, 2017

विषय:-नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास हेतु अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य सेक्टर में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ति0/25/लेखा-1/2017-18 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 137.00 लाख के सापेक्ष नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार रू0 11.75 लाख (रू0 ग्यारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

ख- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	मानक मद	बजट प्राविधान	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृतियां
1	04-यात्रा भत्ता	12.00	3.00
2	08-कार्यालय व्यय	18.00	2.00
3	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6.00	3.00
4	12-कार्या0फर्नीचर एवं उपरकरण	4.00	0
5	13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	0
6	15-मोटर गाड़ी अनुरक्षण एवं पट्रोल आदि की खरीद	10.00	1.50
7	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	1.25
8	42-अन्य व्यय	75.00	0
9	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी पर क्रय	6.00	1.00
	योग	**137.00**	**11.75**

(रू0 ग्यारह लाख पचहत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण 02 समान किश्तों में किया जाएगा तथा प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त दूसरी किश्त का आहरण किया जाएगा।

3- उक्त धनराशि का उपयोग नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन एवं अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा। जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

4- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

5- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योकिं धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-11, दिनांक 29.05.2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आ.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11011-58/2013/डी0बी0टी0, दिनांक 25.02.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत नगद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

8- कृषि निदेशक उ0प्र0, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का नाम इम्पैक्ट एसिसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजना के (केन्द्रांश 60 प्रतिशत*राज्यांश 40 प्रतिशत) के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-309(1)/12-5-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा0 मंत्रीगण, मा0 सांसद, मा0 विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध करने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7. अपर कृषि निदेशक (तिलहन), उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।

8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

10. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

11. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।